महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७, दिनांक २६ मई, २९७१ के प्रसंग में मुझे कहना है कि सहकारिता विभाग के अधीन सरकारी सेवाओं के किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति हेतु निम्नतर पदों पर सहकारिता विभाग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

सहकारिता विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन—

पद का नाम	उच्चतर पद तथा वेतनमान	प्रोन्नति हेतु सेवावधि
अनुसचिवीय सेवा सम्वर्ग	सहायक निबन्धक (वेतनमान ४५५-८४० रु०)	५ वर्ष

विश्वासभाजन,
पूरणमल मित्तल
सरकार के संयुक्त सचिव।

Part XXVII—हड़ताल की अवधि की गणना

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

ज्ञाप संख्या—१०/परी०-१०४४/७४ का०—१०८१/पटना-१५, दिनांक ५ जून, १९७४।

सेवा में,

सभी सरकारी विभाग

संलग्न कार्यालय/विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:— ८ दिसम्बर, १९७२ से १३ जनवरी, १९७३ तक हड़ताल की अवधि की गणना।

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप पक्ष) द्वारा ८ दिसम्बर १९७२ से १३ जनवरी, १९७३ तक की हड़ताल की अवधि की सरकारी कर्मचारियों की सेवा में किस प्रकार से गणना की जाय, इसके सम्बन्ध में विभिन्न विभागों तथा कार्यालयों द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाता रहा है। सरकार ने यह निर्णय पहले ही ले लिया था कि "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर हड़ताल पर जानेवाले कर्मचारियों को उक्त अवधि का वेतन आदेय नहीं होगा। फिर भी सरकार ने भलीभांति विचारण के पश्चात यह निर्णय लिया है कि उक्त अवधि के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा आवेदन किये जाने पर उन्हें असाधारण छुट्टी दी जा सकती है जिससे कि उनकी सेवा भंग नहीं हो और पेंशन में आदि में उस अवधि की गणना की जा सके।

२— अतएव निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय को संघी अधीनस्थ कार्यालयों तथा कर्मचारियों के बीच परिचारित किया जाय और सरकार के निर्णय के अनुसार आगे की कारंवाई की जाय।

(मालती सिन्हा)
सचिव।

ज्ञाप संख्या—१०/परी०-१०४४/७४ का-१०८१/पटना-१५, दिनांक ५ जून, १९७४।

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मालती सिन्हा)
सचिव।

पत्र सं० एफ०/क०स० — ०१/७६-११३३/स०

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक

श्री० रा० न० दास,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी जिला पदाधिकारी

पटना—१५, दिनांक १९फरवरी, १९७६।

विषय :— विगत वर्षों की हड़ताल की अवधि का अनुमान्य अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र के अनुसार अराजपत्रित सरकारी सेवकों द्वारा हड़ताल की बिताई गई अवधि को "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर विनियमित किया गया है तथा हड़ताल की अवधि के लिए सम्बन्धित सरकारी सेवकों को वेतन तथा भत्ते के रूप में कोई भी राशि देय नहीं है। सरकारी सेवक जो हड़ताल में थे किन्तु हड़ताल की अवधि के पश्चात् सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके प्रसंग में सरकार का यह निर्णय संसूचित किया जा चुका है, कि ऐसे सरकारी सेवकों द्वारा आवेदन किए जाने पर असाधारण छुट्टी दी जाय जिससे उनकी सेवा भंग नहीं हो और पेंशन आदि में उस अवधि को गणना की जा सके। अराजपत्रित सरकारी सेवकों द्वारा हड़ताल में बिताई गई अवधि को विनियमित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पुनः विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि यदि संबन्धित अराजपत्रित कर्मचारी यह लिखकर आश्वासन दें कि आगामी तीन वर्षों तक किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं करेंगे तो हड़ताल की अवधि का अनुमान्य अवकाश उन्हें दे दिया जाय।

कृपया सरकार के उपर्युक्त निर्णय को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालय तथा कर्मचारियों के बीच अविलम्ब परिचारित कर दिया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/ - रा० न० दास,

सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या — ११३३/सं०, पटना — १५, दिनांक १९ फरवरी, १९७६

अनौपचारिक प्रतिलिपि — महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कृप से
परामर्शित।

ह०/ — रा० न० दास
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

संकल्प

पटना—१५, दिनांक जून, १९७६।

विषय :— सरकारी सेवकों की गैर-वित्तीय मांगों के संबंध में मंत्रि परिषद् की स्थायी समिति की अनुशंसा पर सरकारी निर्णय।

दिनांक २०-८-१९७४ की बैठक में मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अराजपित कर्मचारियों की गैर-वित्तीय मांगों पर विचार करने हेतु श्री फूलचन्द सिंह, तत्कालीन अपर सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अपना प्रतिवेदन दिनांक २३-९-१९७५ को दिया। उक्त समिति के प्रतिवेदन पर मंत्रिपरिषद् की स्थायी समिति ने विचार कर, अपनी अनुशंसाएं सरकार को दी। सरकार ने मंत्रिपरिषद् की स्थायी समिति की अनुशंसाओं पर दिनांक २५-५ १९७६ को मंत्रिमण्डल की बैठक में विचार कर निम्नांकित निर्णय लिया है।

२— सर्वे सेट्लमेंट और चकबन्दी योजनाओं में नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-४५०, दिनांक २-६-१९७३ एवं परिपत्र संख्या-१४०८, दिनांक १३-६-१९७४ का लाभ देते हुए उक्त योजनाओं में १० वर्षों तक लगातार कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाय और एक जिला में सर्वे-सेट्लमेंट और चकबन्दी का कार्य समाप्त होने पर बिना सेवा भंग किये दूसरे जिला में सर्वे-सेट्लमेंट/चकबन्दी योजना में कार्यचारियों को हस्तान्तरित कर दिया जाय। इस हेतु सर्वे-सेट्लमेंट और चकबन्दी के कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवायें १० वर्षों की या उससे अधिक की हो चुकी है, एक निश्चित संख्या में स्थायी पद केन्द्रीय रूप से, निदेशालयस्तर पर ही सृजित किये जायें। इसी प्रकार जितनी संख्या में स्थायी पद को रखने की आवश्यकता हो, निदेशालयस्तर पर ही सृजित किये जायें। ताकि उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में भेजने में कठिनाई न हो और उनकी वरीयता की सूची भी एक स्थान पर रहे।

३— (क) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के ऐसे अस्थायी निम्नवर्गीय सहायकों को जो दिनचर्यालिपिक या समकक्ष पदों से उपयुक्तता के आधार पर नियुक्त हुए हैं, और सरकार द्वारा परिभाषित छटनीग्रस्त कर्मचारियों में से नियुक्त हुए हैं, नियुक्ति की तिथि से तीन साल की अवधि के बाद परीक्ष्यमण घोषित किये जायें और इनकी वरीयता निर्धारण के लिए कोई उपयुक्त सिद्धान्त कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय। चूँकि सचिवालय अनुदेश के उपबंध (अध्याय-२) के नियम-९ (२) (क) के अनुसार बिना विहित परीक्षा पास किये निम्नवर्गीय सहायक के पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं की जाती है, इसलिए इन्हें परीक्ष्यमाण घोषित करने हेतु उक्त नियम को शिथिल माना जाय। इसी प्रकार समानता के आधार पर खुले बाजार से सीधे नियुक्ति वाले सहायकों के संबंध में भी यही निर्णय लिया गया कि जब वे कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा पास कर लें, तो उन्हें नियुक्ति की तिथि से तीन साल की अवधि के बाद परीक्ष्यमाण घोषित किया जाय। इस तरह की विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हें दो अवसर दिये जायं।

(ख) निम्नवर्गीय सहायक के पद पर बिना विहित परीक्षा में उत्तीर्ण किसी व्यक्ति की सीधी नियुक्ति दिनांक २-३-१९७६ से नहीं की जाय, तथा इसे कड़ाई के साथ पालन किया जाय। यदि किसी विभाग द्वारा २-३-१९७६ (जिस दिन मंत्रिपरिषद् की स्थायी समिति की बैठक में यह सब निर्णय लिया गया) के बाद इस तरह की नियुक्ति की गई, तो कार्मिक विभाग इस आदेश का उल्लंघन करने के जिम्मेदार पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करे।

(ग) जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का सुरक्षित कोटा पूरा नहीं हो, वहां कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, गैर-परीक्षोत्तीर्ण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति भी की जा सकती है।

(घ) इसी क्रम में प्रसंगवश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि विशेष योजनायें और परियोजनाएँ यद्यपि अस्थायी हो सकती हैं, लेकिन जो विभाग काफी दिनों से अस्तित्व में हैं, उन्हें स्थायी किया जाय।

४— वांछित योग्यता धारक चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को आगे के पदों पर प्रोन्नति देने संबंधी पूर्व निर्गत आदेशों का विभागों द्वारा, सख्ती से पालन किया जाय।

५— कलक्ट्री तथा सिविल कोर्ट में टाईपिस्टों (जो प्राइवेट तौर पर काम करते हैं) की आयु सीमा में छूट दी जाय ताकि उक्त कार्यालयों में टाईपिस्ट के पद पर नियुक्ति के परीक्षण में वे शामिल हो सकें। आयु सीमा में कितनी छूट दी जाय, इस विषय की जांचकर, कार्मिक विभाग से आवश्यक निर्णय लें।

६— दुर्गापूजा की छुट्टी दो दिन और बढ़ा दी जाय तथा हजरत मुहम्मद के जन्मदिन (फातेहा-द्वारा दहुम) को प्रतिबंधित छुट्टी नहीं घोषित कर, सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया जाय एवं अन्य प्रतिबंधित छुट्टियां, जो सम्प्रदाय विशेष के लिए घोषित की जाती हैं, उन्हें भी सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाय।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के एक विशेषांक में सूचनार्थ प्रकाशित कराया जाय, तथा इसकी प्रतिलिपि सभी विभागों तथा विधायकों को सूचनार्थ एवं परिचारण हेतु भेजी जाय।

२— यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष सभी प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य वन संरक्षक, रांची एवं सभी जिला पदाधिकारियों, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/— सी० आर० वेंकटरामन
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या—१०/परी-१०२२/७५ का-९०७/पटना-१५, दिनांक ८ जून, १९७६।

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य वन संरक्षक, रांची

सभी जिला पदाधिकारियों

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

२— राजस्व विभाग से अनुरोध है कि सर्वे-सेटलमेंट एवं चकबन्दी योजनाओं में नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-२ में जो सरकार का निर्णय हुआ है, उसके अनुसार ठोस प्रस्ताव उपस्थापित कर कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त करें।

३— विधि विभाग से अनुरोध है कि उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-५ में जो सरकार का निर्णय हुआ है, उसके अनुसार प्रस्ताव तैयार कर, कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त करें।

४—कार्मिक विभाग (प्रशाखा-३) उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-६ में व्यक्त सरकारी निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करे।

(रामचन्द्र घोषाल)
सरकार के उप सचिव।

उमा०-८६७६

ज्ञाप संख्या—१०/परी-१०२२/७५ का—६०७/पटना-१५, दिनांक ८ जून, १९७६।

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, को सूचनार्थ एवं राजपत्र के एक विशेषांक में उक्त संकल्प को तुरत प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

२— संबंधित राजपत्र के विशेषांक की एक हजार प्रतियां कार्मिक विभाग (परीक्षा शाखा) को निश्चित रूप से भेजी जाय।

(रामचन्द्र घोषाल)
सरकार के उप सचिव।

Part XXVIII Submission of petitions, memorials, representations etc.

Memo. No. III/R1—2017/57-A—3213

Government of Bihar
Appointment Department

To

All Departments of Government

All Heads of Department

All Commissioner of Divisions

All District Officers

Patna, the 21st March, 1957

Subject :— Submission of memorials, representations, etc. to higher authority.

The undersigned is directed to refer to the instructions conveyed in Appointment Department's Memo. nos. 6279-A, dated the 5th December, 1927 and 4264-A, dated the 5th May, 1950 on the above subject (copies enclosed). Government have examined whether Government servants should be allowed to submit memorials or representations direct to higher authorities, without first seeking redress at the hands of the immediate superior officers. It has been decided that this should not be allowed. A Government servant should, in the first instance, address his immediate superior for redress of his grievances. If the immediate superior unduly delays passing orders on the petition, the Government servant may address a petition to the next higher authority, but this petition should be submitted through the proper channel i.e., through the immediate superior officer. In such a case, the Government servant may submit an advance copy of his petition to the higher authority, but the higher authority will take no action on the advance copy except (if he deems fit) to call for the papers from the lower authority. A decision will be taken by the higher authority only after receiving the papers through the proper channel.

2. These instructions may be brought to the notice of all Government servants subordinate to you, for their information and guidance,

M. S. Rao,

Chief Secretary to Government.